13. सरकारी और सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी, सार्वजनिक कृषि वानिकी, बागवानी, उद्यानों, बगीचों के निर्माण संबंधित कार्य।

14. भू–जल रिचार्जिग सुविधाएं, जल संवर्धन (स्टाप डेम, तालाब का निर्माण आदि), उद्वहन सिंचाई योजनायें एवं सामूहिक ट्यूबवेल्स का निर्माण।

15. नदियों / नहरों / तालाबों का गहरीकरण / गाद निकालना।

16. सार्वजनिक प्रयोजन हेतु विद्युत लाईन डालना एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना।

17. सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये सार्वजनिक गोबर गैस संयत्र, गैर परंपरागत ऊर्जा प्रणालियों / उपादानों का निर्माण।

18. अपूर्ण पूंजीगत निर्माण योजनाओं को पूरा करना।

19. सामाजिक संगठनों के लिये धर्मशाला पंजीकृत सोसायटियों / न्यासों / सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (अधिकतम सीमा रू. 10.00 लाख)

20. पशु चिकित्सा संस्थाओं / कांजी हाऊस एवं गौशाला का निर्माण।

21. वृद्ध और विकलांगो के लिये सामुदायिक रैन बसेरों का निर्माण करना, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु मोटर युक्त व्हील चेयर प्रदान करना, चक्रवात / बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिये सांझा शरण स्थलों का निर्माण।

22. शहरी गंदी बस्तियों, कस्बों और गांवों में पानी, रास्तों में सार्वजनिक शौचालयों / स्नानगृहों जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा स्थानीय निकायों के लिये कूड़ा उठाना, मल निपटान प्रणाली, तथा सफाई एवं जन स्वास्थ्य हेतु अन्य कार्य।

23. शहरी गंदी बस्तियों में कारीगरों के लिये सार्वजनिक वर्क शेडों का निर्माण।

24. नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट लगाने / विस्तार संबंधित कार्य।

25. सामुदायिक, सांस्कृतिक तथा खेल गतिविधियों / शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये शेड / छोटे भवनों / स्टेडियम / खेल मैदानों का निर्माण करना / चौपाल (चबूतरा) निर्माण / स्थाई खेल–कूद उपस्कर / मल्टीजिम–उपस्कर (मशीन का क्रय)। (खेलकूद एवं मल्टीजिम उपस्कर, निजी पंजीकृत मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भी स्वीकृत किये जा सकेगे)

26. बालवाड़ी तथा आंगनवाड़ियों का भवन निर्माण।

27. परिवार कल्याण उप–केन्द्रों सहित जन स्वास्थ्य भवनों, अस्पतालों, चलित औषद्यालय तथा चीर (Post mortem) गृहों का निर्माण।

28 शवदाह गृह / कब्रिस्तानों का निर्माण। (बाउन्ड्रीवाल / फेन्सिग भी अनुमत हैं)

29. नालियों और नालों का निर्माण।

30. सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गोदाम/केरोसीन भंडारण व्यवस्था का निर्माण।

31. पुलिस थाना/चौकी हेतु भवन निर्माण।

32. शासकीय भवनों के एक लाख रूपये की वित्तीय सीमा तक मरम्मत संबंधी कार्य (मरम्मत/लेखा संधारण संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा)

33. कृषि सिंचाई हेतु जल संशाधन विभाग के नलकूपों तथा इनकी खराब मोटरों के (तकनीकी परीक्षण उपरान्त) केवल विशेष मरम्मत के कार्य।

34. जनसुविधा केन्द्र की स्थापना।

35. गांव/नगरीय क्षेत्र में नदी /तालाब पर सीढ़ी अथवा घाट निर्माण।

36. शासकीय व मान्यता प्राप्त पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं एवं रेडक्रास हेतु एम्बुलेन्स एवं शव वाहन का क्रय। मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्थाओं, हेतु शव-वाहन का क्रय (इनके संचालन एवं संधारण की व्यवस्था संबंधित विभाग/संस्था द्वारा की जावेगी तथा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था की दशा में मार्गदर्शिका के पैरा 3.13 एवं 3.14 के सुसंगत प्रावधानो का पालन अनिवार्य होगा)

37. शासकीय शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर/शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री का क्रय।

38. नदी पार करने हेतु लोगो के परिवहन के लिये नाव का क्रय करना/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु मोटर बोट क्रय करना।

39. सार्वजनिक पुस्तकालय, महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय।

40. शासकीय/मान्यता प्राप्त पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं एवं रेडक्रास में स्वास्थ्य के परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय। (इनके संचालन एवं संधारण की व्यवस्था संबंधित विभाग/संस्था द्वारा की जावेगी तथा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था की दशा में मार्गदर्शिका के पैरा 3.14 के सुसंगत प्रावधानो का पालन अनिवार्य होगा)

41. पर्यटन को बढावा देने हेतु ऐतिहासिक एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलो/ग्रामों/नगरों में तोरण द्वार/सौन्दर्यीकरण की परियोजना।

42. रजिस्टर्ड व्यायाम शालाओं को आधुनिक व्यायाम की मशीन (जिम सामग्री) 25 प्रतिशत संस्था की जनभागीदारी को शामिल करते हुये।

43. एम्बूलेन्स/शव वाहन स्वीकृति रेडक्रास, जिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ अन्य रजिस्टर्ड संस्थाओं को भी एजेन्सी बनाया जा सकता है।

44. नगरीय निकायों के लिये ट्रक, ट्रेक्टर व अन्य मशीनरी का क्रय प्रतिवर्ष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय विधायक महोदय को उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत राशि का उपयोग इन कार्यो हेतु किये जाने की अनुशंसा कर सकते हैं, किन्तु शासकीय कार्यालयो/निगम/मण्डलो के पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग हेतु जीप/कार एवं अन्य वाहन का क्रय प्रतिबंधित रहेगा।

परिशिष्ट - "स"

विधानसभा प्रश्न क्रमांक–2785

क्रमांक	अनुशंसा पत्र क्रमांक / दिनांक	कार्यालय में प्राप्त दिनांक	भुगतान दिनांक	रिमार्क
1	2738 / 28.06.2021	30.06.2021	08.07.2021	
	2739 / 28.06.2021	30.06.2021		
	2769 / 09.07.2021	07.07.2021		
2	2860 / 01.08.2021	01.08.2021	06.08.2021	
	2855 / 31.07.2021	31.07.2021		
3	2907 / 16.08.2021	18.08.2021	04.10.2021	हितग्राहीयों के खाता प्राप्त न होने पर
4	3015 / 04.10.2021	06.10.2021	22.10.2021	हितग्राहियों के बैंक खाते एवं आई.एफ.एस.सी. कोड त्रुटिपूर्ण होने के कारण विलंब हुआ है।
5	3034 / 10.10.2021	22.10.2021	29.10.2021	
6	3084 / 12.11.2021	16.11.2021	25.11.2021	
7	3091 / 22.11.2021	23.11.2021	06.12.2021	
8	3119 / 03.12.2021	07.12.2021	06.01.2022	
9	3151 / 17.12.2021	23.12.2021	06.01.2022	
10	3160 / 30.12.2021	02.01.2022	14.01.2022	
11	3134 / 10.12.2021	22.12.2021	14.01.2022	
12	3180 / 14.01.2022	17.01.2022	27.01.2022	
13	3205 / 02.02.2022	05.02.2022	09.02.2022	
14	3187 / 20.01.2022	25.01.2022	09.02.2022	

कलेक्टर
जिला कटनी